न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 297 / 2007 / रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 बिड़दापुरी
2 रतनपुरी
3 राजूपुरी
} पुत्रगण सुरजापुरी जाति गुसाई निवासीगण खुड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री पोखरमल भींचर

निर्णय दिनांकः–14.08.2019

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खूड़ के पुराने ख0नं0 669 रकबा 35111 / 1 की खातेदारी माफी मंदिर श्री शिवजी महाराज पुजारी सोनपुरी चेला गणेशपुरी कोम गुसाई के नाम से दर्ज थी। जिसे बाद मे पुजारी के नाम दर्ज कर दिया गया। नामान्तरण सं. 283 के द्वारा खाता सोनपुरी के बजाय सुरजापुरी सुखापुरी डालुपुरी पिता सोनपुरी के नाम दर्ज किया गया। नामान्तरण संख्या 874 के द्वारा सुखापुरी 1 / 3 बुधपुरी रतनपुरी राजुपुरी पिता सुरजापुरी डालुपुरी हिस्सा 1 / 3 दर्ज किया गया। नामान्तरण संख्या 1008 के द्वारा डालुपुरी के बजाय भंवरी वेबा डालुपुरी बजरंगपुरी प्रमेश्वरपुरी पिता डालुपुरी हिस्सा 1 / 3 दर्ज किया गया। बंदोवस्त के दोरान ख0नं0 669 के नये ख0नं0 1088 से 1094 1933, 1101 परिवर्तित किये गये। नामान्तरकरण सं0 336 के द्वारा बुधपुरी रतनपुरी राजपुरी का हि0 67 / 180 रहन पीएनबी बैंक लोसल दर्ज किया गया। नामान्तरण सं0 571 के द्वारा सुखापुरी हि0 53 / 180 राहिन SGB बैंक खुड़ स्वीकार हुआ। नामान्तरण सं0 760 के द्वारा बिडदापुरी, रतनपुरी, राजुपुरी पिता सुरजापुरी हिस्सा 67 / 180 राहिन SGB बैंक खुड़ दर्ज किया गया। उपरोक्तानुसार नामान्तरकरण सं. 283, 874, 1008, 336, 571, 760 अवेध दर्ज किये गये है, जिनका रेंफरेंश प्रेषित है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी सम्वत् 2009 से 2010 में माफी मन्दिर श्री शिवजी महाराज विराजमान देह पुजारी सोनपुरी चैला गणेशपुरी कौ. गुसाई सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। उक्त आराजियात की खातेदारी खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011 में श्योकरणपुरी वल्द हुकमपुरी गुसाई के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है जो सम्वत् 2012 में भी दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 में काश्तकार के कॉलम में सोनपुरी पुत्र हुक्मपुरी जाति गुसाई सा.देह दर्ज रिकार्ड अंकित है। खातेदार सोनपुरी का देहान्त होने पर उक्त आराजियात बाबत नामान्तकरण संख्या 283 के द्वारा सोनपुरी के वारिस सुरजापुरी सुखापुरी डालुपुरी पि. सोनपुरी के नाम से तस्दीक कर दिया गया। इसके पश्चात नामान्तकरण

जापुरी के नाम से तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 1008 के द्वारा खातेदार डालुपुरी का स्वर्गवास होने पर भंवरीदेवी बेवा डालुपुरी बजरंगपुरी परमेश्वरपुरी पि. डालुपुरी के नाम से तस्दीक कर दिया गया। उसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 336 दिनांक 13.09.2001 मुताबिक रहननामा के पंजाब नेशनल बैंक शाखा लोसल के नाम से तस्दीक कर दिया गया। इसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 571 दिनांक 23.06.2004 व नामान्तकरण संख्या 760 दिनांक 22.03.2006 मुताबिक रहननामा के SGB बैंक खुड़ के नाम से तस्दीक कर दिया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 के मुताबिक उक्त आराजियात की खातेदारी उपरोक्त अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी सम्वत् 2009 से 2010 में माफी मन्दिर श्री शिवजी महाराज विराजमान देह पुजारी सोनपुरी चैला गणेशपुरी कौ. गुसाई सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। सम्वत् 2011 से 2012 के मुताबिक उक्त खातेदारी बिना किसी आदेश के अप्रार्थी श्योकरण पुरी वल्द हुकमपुरी के नाम दर्ज कर दी गई एवं जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 में श्योकरण पुरी की बजाय सोनपुरी पुत्र हुक्मपुरी के नाम से रिकार्ड में अंकित कर दी गई। नामान्तकरण संख्या 283 मुताबिक सोनपुरी का देहान्त होने पर सोनपुरी के वारिस सुरजापुरी सुखापुरी डालुपुरी पि. सोनपुरी के नाम से तस्दीक कर दिया गया। इसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 874 मुताबिक विक्रय पत्र के सुरजापुरी की बजाय बुद्वपुरी रतनपुरी राजुपुरी पि. सुरजापुरी के नाम से तस्दीक कर दिया गया। नामान्तकरण संख्या 1008 के द्वारा खातेदार डालुपुरी का स्वर्गवास होने पर भंवरीदेवी बेवा डालुपुरी बजरंगपुरी परमेश्वरपुरी पि. डालुपुरी के नाम से तस्दीक कर दिया गया। उसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 336 दिनांक 13.09.2001 मुताबिक रहननामा के पंजाब नेशनल बैंक शाखा लोसल के नाम से तस्दीक कर दिया गया एवं नामान्तकरण संख्या 571 दिनांक 23.06.2004 व नामान्तकरण संख्या 760 दिनांक 22.03.2006 मुताबिक रहननामा के SGB बैंक खुड़ के नाम से तस्दीक कर दिया गया। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2012 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात की खातेदारी सम्वत् 2009 से 2010 में माफी मन्दिर श्री शिवजी महाराज विराजमान देह पुजारी सोनपुरी चैला गणेशपुरी कौ. गुसाई सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड होने के उपरांत सम्वत् 2011 से 2012 में उक्त मन्दिर की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी अन्य को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्‌भुत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम खूड़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 669 पुराने जिसके नये खसरा नम्बर 1088 से 1094, 1933, 1101 के सम्बंध में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 283, 874, 1008, 336, 571, 760 के द्वारा अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री शिवजी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

14/8/19
(जयप्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर